RACE IAS®
Since 2010

www.raceias.com

सरकारी योजनाएं

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग
तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

2024-2025

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- जल जीवन मिशन
- मिशन शक्ति योजना
- पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल
- पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना
- फेम इंडिया योजना
- अमृत भारत स्टेशन योजना
- एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी पहल
- पीएम-ई बस सेवा योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाा, 2015

Raghav Publication House

Online Course

For Civil Services Prelims & Mains Examinations

FREE online mock test for IAS/PCS

GET IT ON Google Play

32 Bit

Windows Application

64 Bit

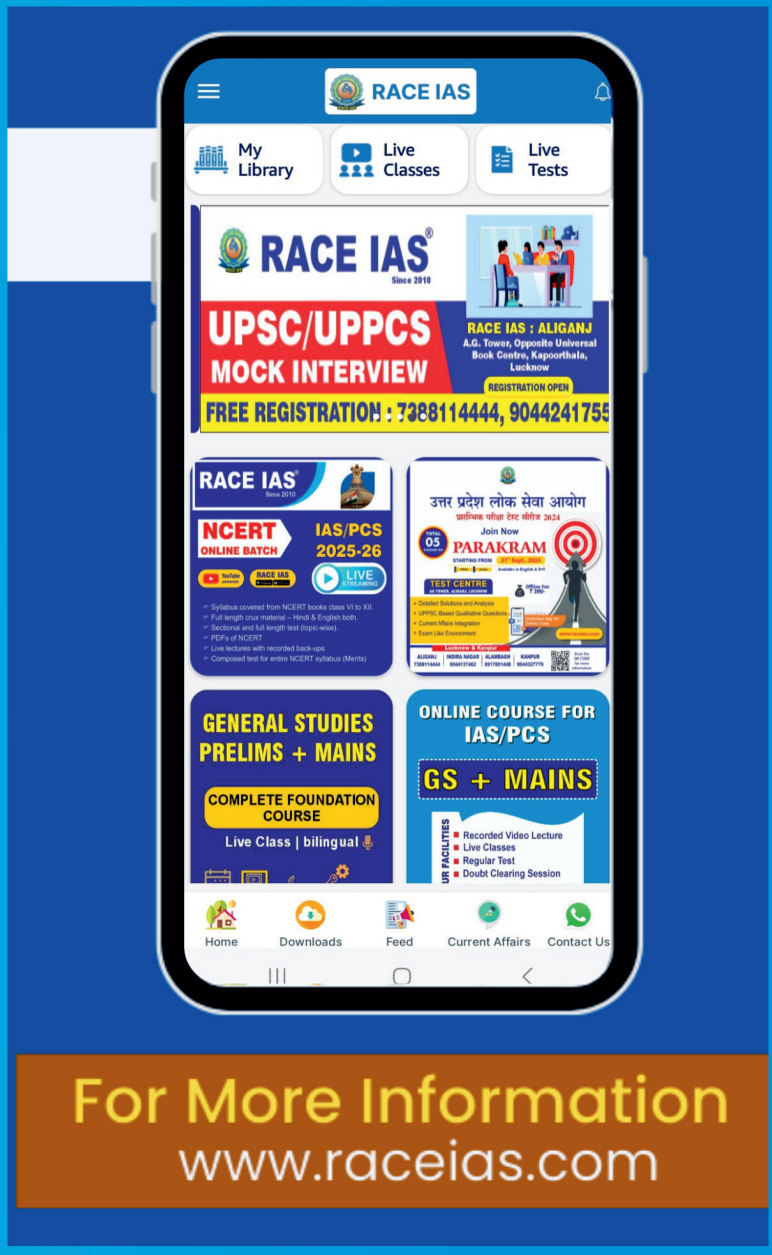

For More Information
www.raceias.com

Follow us on :

सरकारी योजनाएँ

RACE IAS

अनुक्रमणिका

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)	01
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)	02
3. जल जीवन मिशन (जेजेएम)	04
4. 'मिशन शक्ति' योजना	05
5. पीएम विश्वकर्मा योजना	06
6. पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल	07
7. पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना	08
8. फेम इंडिया योजना	09
9. कन्या सुमंगला योजना	10
10. अमृत भारत स्टेशन योजना	12
11. एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी पहल	13
12. पीएम-ई बस सेवा योजना	15
13. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2015	16

RACE IAS

सरकारी योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

बारे में:

- इसे भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इसे महामारी से प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस योजना में महिलाओं और बुजुर्गों को नकद हस्तांतरण के साथ-साथ हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न का वितरण शामिल है।
- इसे व्यापक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों, विशेषकर गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करना था।
- योजना के अनुसार, सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले राशन के अलावा हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है।

पात्रता मापदंड:

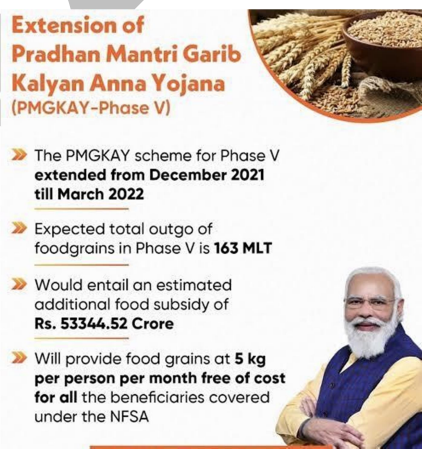

- पीएमजीकेएवाई का लाभ विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है।
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) श्रेणियों से संबंधित परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। पीएचएच की पहचान राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार की जानी है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एएवाई परिवारों की पहचान की जानी है:
- ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवाएं हैं, या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति, या विकलांग व्यक्ति, या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास निर्वाह या सामाजिक समर्थन का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।
- विधवाएँ, या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति, या विकलांग व्यक्ति, या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाएँ या एकल पुरुष जिनके पास कोई पारिवारिक या सामाजिक समर्थन या निर्वाह का सुनिश्चित साधन नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, सभी आदिम जनजातीय परिवार, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार जैसे कुम्हार, चर्मकार, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पल्लेदार और अन्य समान श्रेणियां भी योजना के लिए पात्र हैं।
- वे सभी नागरिक पात्र हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से हैं।

पीएमजीकेएवाई का विस्तार:

- 2022 में, सरकार ने COVID-19 मामलों और प्रतिबंधों में ढील के बाद बेहतर आर्थिक स्थिति के कारण PMGKAY को बंद कर दिया।
- 2023 में, पीएमजीकेएवाई को बंद करने की भरपाई के लिए, सरकार ने एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लोगों को एक साल के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा की।
- मूल रूप से दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली पीएमजीकेएवाई योजना को बढ़ा दिया गया है और अब यह दिसंबर 2028 तक चलेगी।
- लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

RACE IAS

एनएफएसए के बारे में:

- इसे सरकार द्वारा 2013 में पेश किया गया था, जिससे 67% आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलता है।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिया होना अनिवार्य है।
- अधिनियम का एक प्रमुख सिद्धांत इसका जीवन-चक्र दृष्टिकोण है, जिसमें गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
- वे एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केंद्रों, जिन्हें आईसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में जाना जाता है, के साथ-साथ मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मुफ्त पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं।
- अधिनियम 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानक निर्धारित करता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी कम से कम रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं। 6,000, जो गर्भावस्था और पूरक पोषण के दौरान वेतन हानि की आंशिक भरपाई करता है।
- यदि पात्र व्यक्तियों को आवंटित खाद्यान्न या भोजन नहीं मिलता है, तो वे संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

एनएफएसए का कवरेज:

- इसका कवरेज 2011 की जनगणना जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है।
- यह वर्तमान में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जो लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को प्रदान करता है।
- वर्तमान में, एनएफएसए अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न के लिए 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम का मामूली शुल्क देना पड़ता है।
- अधिनियम के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, जबकि अंतोदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार मिलता है।
- मोटे अनाज, गेहूं और चावल की कीमतों पर क्रमशः 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है।
- 2023 में सरकार योजना के लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी।
- यह निर्णय दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई के समापन से पहले किया गया था।

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) की शुरुआत की, जो अन्यथा पारंपरिक खाना पकाने का उपयोग कर रहे थे। ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि।
- पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा।

उद्देश्य:

- महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना।
- भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
- जीवाश्म ईंधन जलाने से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर श्वसन बीमारियों से छोटे बच्चों को बचाना।

Cabinet approves continuation of Rs.300 targeted subsidy to PM Ujjwala Yojana Consumers

MARCH 7, 2024

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved the continuation of targeted subsidy of Rs.300 per 14.2 kg cylinder (and proportionately pro-rated for 5 kg cylinder) for up to 12 refills per year to be provided to the beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) during FY 2024-25. As on 1st March, 2024 there are more than 10.27 crore PMUY beneficiaries.

RACE IAS

विशेषताएँ:

- यह योजना बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ, उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉटप्लेट मुफ्त प्रदान करेगी।

पीएमयूवाई के लाभ:

- पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलता है।
- लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के पहले छह रिफिल या 5 किलोग्राम सिलेंडर के आठ रिफिल पर भी सब्सिडी मिलती है।
- लाभार्थी स्टोव की लागत और पहली रिफिल के भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं।
- लाभार्थी सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए पहल योजना से भी जुड़ सकते हैं।
- यह योजना हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों के क्षेत्रों में लोगों को खाना पकाने के लिए एलपीजी तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं या कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से समाधान करेगी।
- पीएमयूवाई योजना के तहत, तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्टोव खरीदने या फिर से भरने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाता है।
- योजना का लाभ 'प्राथमिकता वाले राज्यों' के लोगों को भी प्रदान किया जाता है जिसमें भारत के पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्य शामिल हैं।
- प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

पीएमयूवाई के चरण:

चरण 1 :

- यह योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था।
- योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज को 1 मई 2016 के 62% से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 को 99.8% करने में भी मदद मिली है।

उज्ज्वला 2.0:

- वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में पात्र परिवारों को 31 मार्च, 2022 तक अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है।
- उज्ज्वला 2.0 के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य जनवरी 2022 में हासिल किया गया था। इसके बाद, उज्ज्वला 2.0 के तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया। ओएमसी ने 31 दिसंबर 2022 को उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

एलपीजी कवरेज का विस्तार करने की पहल

- **पहल (प्रत्यक्ष हस्तान्तरित लाभ):** सब्सिडी वाले मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय, उन्हें बाजार मूल्य पर बेचा गया, और लागू सब्सिडी सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई।

○इससे "फर्जी" खातों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू सिलेंडरों के अवैध उपयोग में कमी आई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल इच्छित लाभार्थियों को ही लाभ मिले।

- **गिव इट अप :** जबरदस्ती सब्सिडी हटाने के बजाय, लोगों को स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

○व्यापक प्रचार के माध्यम से, लाखों लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी, जिससे उन लोगों को धन पुनर्निर्देशित करने में मदद मिली जिन्हें वास्तव में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता थी।

- 2020 में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त रिफिल योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत रुपये की सहायता दी जाती है। 14.17 करोड़ एलपीजी रिफिल के समर्थन में पीएमयूवाई लाभार्थियों को 9670.41 करोड़ रुपये दिए गए।

पीएमयूवाई योजना- उपलब्धियां

- पीएमयूवाई योजना ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है।

RACE IAS

- एलपीजी तक आसान पहुंच के साथ, महिलाओं पर अब जलाऊ लकड़ी या अन्य पारंपरिक ईंधन इकट्ठा करने का बोझ नहीं है, जिसके लिए अक्सर लंबी और श्रमसाध्य यात्रा की आवश्यकता होती है।
- यह नई सुविधा उन्हें सामुदायिक जीवन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने और अन्य आय-सृजन के अवसर लेने की अनुमति देती है।
- इसके अलावा, उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया है, क्योंकि अब उन्हें जलाऊ लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करने के लिए अलग-थलग और संभावित असुरक्षित क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं है।
- पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत जो 2018-19 में 3.01 थी, वह 2022-23 में बढ़कर 3.71 हो गई है। पीएमयूवाई लाभार्थियों ने अब (2022-23) एक वर्ष में 35 करोड़ से अधिक एलपीजी रिफिल लिया।
- पीएम उज्ज्वला योजना की वर्तमान स्थिति: 1 मार्च 2024 तक 10.27 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी हैं।

3. जल जीवन मिशन (जेजेएम)

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) को 15 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।
- इसकी स्थापना के समय, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे।
- मिशन का लक्ष्य 2024 तक लगभग 16 करोड़ अतिरिक्त घरों को नल का पानी उपलब्ध कराकर, मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करके और 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाकर इस अंतर को पाटना है।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है।

मुख्य सफलतायें

- 12 अगस्त, 2024 तक, जल जीवन मिशन ने 11.82 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल जल कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे कुल कवरेज 15.07 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच गया है, जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों का 77.98% है।
- यह मिशन एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है, जिसने ग्रामीण लोगों को उनके घरों में पीने योग्य पानी तक विश्वसनीय पहुंच प्रदान करके उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है।

उद्देश्य

जल जीवन मिशन के व्यापक उद्देश्यों में शामिल हैं:

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा-प्रवण क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों में एफएचटीसी प्रावधान को प्राथमिकता देना।
- स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों में कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना।
- नल कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी करना।
- नकद, वस्तु या श्रम (श्रमदान) के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- जल स्रोतों, बुनियादी ढांचे और नियमित संचालन और रखरखाव के लिए वित्त पोषण सहित जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करना।
- जल क्षेत्र में मानव संसाधनों को सशक्त बनाना और विकसित करना, जिसमें निर्माण, पाइपलाइन, विद्युत कार्य, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल उपचार, जलग्रहण संरक्षण और बहुत कुछ शामिल है।
- सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पानी को हर किसी की जिम्मेदारी बनाने के लिए हितधारकों को शामिल करना।

जेजेएम के अंतर्गत घटक

निम्नलिखित घटक JJM के अंतर्गत समर्थित हैं:

- विभिन्न स्रोतों/कार्यक्रमों से धन जुटाने का प्रयास किया जाना चाहिए और अभिसरण ही इसकी कुंजी है

RACE IAS

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गांव में पाइप जलापूर्ति बुनियादी ढांचे का विकास।
- दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और संवर्द्धन।
- जहां आवश्यक हो वहां बड़े पैमाने पर जल अंतरण, उपचार संयंत्र और वितरण नेटवर्क।
- जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले क्षेत्रों में दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप।
- 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्रदान करने के लिए चल रही और पूरी की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), प्रशिक्षण, उपयोगिता विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं, अनुसंधान और विकास, समुदायों की क्षमता निर्माण आदि जैसी गतिविधियों का समर्थन करना।
- फ्लेक्सी फंड पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं या आपदाओं के कारण अप्रत्याशित चुनौतियों का समाधान करना।

मिशन के तहत प्रगति (14 अगस्त, 2024 तक)

- देश में 15.07 करोड़ (77.98%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।
- 188 जिलों, 1,838 ब्लॉकों, 1,09,996 ग्राम पंचायतों और 2,33,209 गांवों ने 'हर घर जल' का दर्जा हासिल करने की सूचना दी है।
- भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई)-एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) प्रभावित जिलों को प्राथमिकता देती है। जेई-एईएस जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 2.35 करोड़ से अधिक घरों (79.21%) को स्वच्छ नल के पानी तक पहुंच मिल रही है।
- 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें गोवा, ए एंड एन द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, ने सभी ग्रामीण घरों (100) में नल का पानी कनेक्शन प्रदान किया है। 14 अगस्त, 2024 तक संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में %)।
- 14 अगस्त 2024 तक 9,27,421 स्कूलों और 9,63,955 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से पानी की आपूर्ति है।

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और विश्वसनीय नल का पानी मिले। पहले ही हो चुकी महत्वपूर्ण प्रगति के साथ, मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए तैयार है। देश भर में ग्रामीण समुदायों के साथ-साथ स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को भी बढ़ावा देना।

4. 'मिशन शक्ति' योजना

योजना के बारे में:

- 'मिशन शक्ति' 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लॉन्च किया गया था।
- मिशन शक्ति एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया है।
- मिशन शक्ति की कुल वित्तीय लागत 20989 करोड़ रुपये है।
- उप-योजना 'संबल' को निर्भया फंड/एमडब्ल्यूसीडी बजट से 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- उप-योजना 'सामर्थ्य' को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों/विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 60:40 के फंडिंग अनुपात के साथ लागू किया जाएगा, पूर्वोत्तर और विधानसभा वाले विशेष श्रेणी वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर जहां फंड अनुपात होगा। 90:10 हो.

○बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

योजना के घटक:

संबल:

- यह महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है।
- इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की

RACE IAS

योजनाएं शामिल हैं, जिसमें नारी अदालतों का एक नया घटक शामिल है - समाज में और भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए महिला सामूहिक।

समर्थ:

- यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।
- इसमें उज्ज्वला, स्वधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधन के साथ शामिल किया गया है।
- इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस के तहत प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मौजूदा योजनाओं को अब समर्थ में शामिल किया गया है।
- समर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।

इसमें क्या सेवाएँ और गतिविधियाँ शामिल हैं?

आपातकालीन/तत्काल सेवाएँ एवं अल्पकालिक देखभाल:

- राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर और एकीकृत सेवाएं जैसे अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता, पुलिस सुविधा और उन्हें वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से मौजूदा सेवाओं से जोड़ना आदि।

दीर्घकालिक सहायता के लिए संस्थागत देखभाल:

- गर्भधारण के चरण से लेकर उस समय तक महिलाओं की ज़रूरतों का ख्याल रखना जब तक उन्हें ऐसी देखभाल और सहायता की आवश्यकता हो।
- सखी निवास या कामकाजी महिला छात्रावास कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा।

महिलाओं के प्रति सम्मान और अपराध तथा हिंसा की रोकथाम के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार:

- इसमें लैंगिक संवेदनशीलता के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी शामिल होगी।
- इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने के लिए पुरुषों और लड़कों के साथ साझेदारी की जाएगी।

5. पीएम विश्वकर्मा योजना

पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में:

- प्रधान मंत्री द्वारा 17 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- यह विशिष्ट व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को डिजिटल लेनदेन के लिए बाजार लिंकेज समर्थन, कौशल प्रशिक्षण और प्रोत्साहन जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
- पीएम विश्वकर्मा योजना का संचालन एमएसएमई, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से करेगा।
- इस योजना की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
- पीएम विश्वकर्मा योजना वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- यह योजना विशेष रूप से समाज के निचले स्तर के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है।
- पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के पारंपरिक कार्यों में लगे लोगों को शामिल किया गया है।

- इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

योजना के उद्देश्य:

- अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार-आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना।
- इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।

पात्रता एवं कवरेज:

- यह पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी कारीगरों और शिल्पकारों के लिए उपलब्ध है।
- इसमें बोट मेकर जैसे 18 पारंपरिक शिल्प शामिल हैं; कवचधारी; लोहार; हथौड़ा और टूल किट निर्माता; वगैरह।
- पहले वर्ष में पांच लाख परिवारों को और पांच वर्षों में 30 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा।

योजना के प्रमुख लाभ:

- **टूलींग सुविधाओं तक उन्नत पहुंच:** टूलींग संसाधनों तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार, उनकी दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा देना।
- **उद्योग के लिए तैयार जनशक्ति:** प्रतिभागियों को उद्योग मानकों को पूरा करने वाले कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।
- **प्रक्रिया और उत्पाद विकास के लिए समर्थन:** प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों के भीतर विकास पहल को सुविधाजनक बनाता है।
- **परामर्श और नौकरी कार्य सेवाएँ:** विभिन्न उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप परामर्श और नौकरी कार्य प्रदान करता है।

स्रोत: पीआईबी

6. पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल

पहल के बारे में:

- पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2024 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस पर नई पहल 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' की शुरुआत की।
- इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य गंतव्यों में पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है, जिससे उन्हें 'पर्यटक-अनुकूल' लोगों से मिलवाया जा सके जो अपने गंतव्य के लिए गर्वित राजदूत और कहानीकार हैं।
- इस पहल का उद्देश्य अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव करने के लिए सभी का स्वागत करना है, जिससे भारत में पर्यटकों के लिए अधिक स्वागत योग्य, मेहमाननवाज़ और यादगार अनुभव तैयार हो सके।
- पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी को पूरे भारत में छह पर्यटन स्थलों में संचालित किया गया: ओरछा (मध्य प्रदेश), गांडीकोटा (आंध्र प्रदेश), बोधगया (बिहार), आइजोल (मिजोरम), जोधपुर (राजस्थान), और श्री विजया पुरम (अंडमान और निकोबार) द्वीप)

विशेषताएँ

- इसके तहत महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि वे हेरिटेज वॉक, फूड टूर, क्राफ्ट टूर, नेचर ट्रेक, होमस्टे अनुभव और क्षमता के आधार पर अन्य नवीन पर्यटन उत्पादों जैसे नए पर्यटन उत्पादों और अनुभवों को विकसित करने में सक्षम हो सकें। मंजिल।
- यह प्रशिक्षण 'अतिथि देवो भव' दर्शन से प्रेरित है यानी पर्यटकों को सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाता है।
- यह भी कल्पना की गई है कि स्थानीय लोग होमस्टे मालिकों, भोजन और व्यंजन अनुभव प्रदाताओं, सांस्कृतिक गाइड, प्राकृतिक गाइड, साहसिक गाइड और पर्यटन में अन्य भूमिकाओं के रूप में आगे चलकर लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए इन कौशल का लाभ उठा सकते हैं।

RACE IAS

- पर्यटन-विशिष्ट प्रशिक्षण के बाद डिजिटल साक्षरता और डिजिटल उपकरणों में सामान्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा बनाए गए अनुभव राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के लिए खोज योग्य और दृश्यमान हों।

7. पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना

योजना के बारे में:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शीर्ष 860 गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए 6 नवंबर, 2024 को पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल "पीएम-विद्यालक्ष्मी" होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।

योजना की विशेषताएं:

- इस योजना के तहत कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेता है, वह ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। .
- यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी जो इंटर-ऑपरेबल और पूरी तरह से डिजिटल होगी।
- यह देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, जैसा कि एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है - जिसमें सभी एचईआई, सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं; राज्य सरकार के HEIs को NIRF और सभी केंद्र सरकार शासित संस्थानों में 101-200 में स्थान दिया गया है।
- यह सूची नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग का उपयोग करके हर साल अपडेट की जाएगी, और शुरुआत 860 क्वालीफाइंग क्यूएचईआई से होगी।

ऋण प्रावधान:

○7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए, छात्र बकाया डिफ़ॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होंगे। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

○उपरोक्त के अलावा, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 8 लाख तक है, और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ₹ 10 लाख तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी दी जाएगी। अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रदान किया गया।

○प्रत्येक वर्ष एक लाख छात्रों को ब्याज सहायता सहायता दी जाएगी। उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से हैं और जिन्होंने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है।

○2024-25 से 2030-31 के दौरान ₹ 3,600 करोड़ का परिव्यय किया गया है।

योजना के उद्देश्य:

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य है:

○शिक्षा में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करें: मेधावी छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएं।

RACE IAS

○शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार केवल शीर्ष-गुणवत्ता वाले एचईआई पर लागू।

○पारदर्शी और डिजिटल पहुंच प्रदान करें: ऋण प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल मंच का उपयोग करें।

8. फेम इंडिया योजना

योजना के बारे में:

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत अप्रैल 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना शुरू की गई थी।

फेम इंडिया योजना के उद्देश्य क्या हैं?

- यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और संबंधित प्रदाताओं को देश में अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- इसका लक्ष्य देश के भीतर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
- इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना भी है।
- इसके अलावा, फेम इंडिया योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुल परिवहन के 30% को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना है।

योजना के स्तंभ:

- इसमें मुख्य रूप से चार पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है - मांग निर्माण, प्रौद्योगिकी मंच, पायलट परियोजनाएं और चार्जिंग बुनियादी ढांचा।
- मांग सृजन के लिए, प्रोत्साहन मुख्य रूप से कम खरीद कीमतों के रूप में वितरित किए गए हैं।

योजना के चरण:

फेम इंडिया योजना दो चरणों में संचालित होती है। ये हैं,

- चरण I: फेम इंडिया योजना का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2019 तक कार्यात्मक रहा।
- द्वितीय चरण: इस योजना का दूसरा चरण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा।

फेम इंडिया योजना के चरण I की विशेषताएं:

- संबंधित अधिकारियों ने चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके पहले चरण को लागू किया। ये हैं (ए) डिमांड क्रिएशन, (बी) टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, (सी) पायलट प्रोजेक्ट और (डी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
- सरकार ने पहले चरण के दौरान 427 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए।
- सरकार ने चरण I के संचालन को कवर करने के लिए ₹ 895 करोड़ आवंटित किए। यहां, लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को ₹ 359 करोड़ की राशि का समर्थन दिया गया।

उपलब्धियाँ:

योजना के पहले चरण में, लगभग 2.78 लाख xEV को कुल मांग प्रोत्साहन के साथ समर्थन दिया गया था। इसके अलावा, इस

RACE IAS

योजना के तहत विभिन्न शहरों/राज्यों के लिए 465 बसें स्वीकृत की गईं।

फेम इंडिया चरण II के बारे में

- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME India चरण II) देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की एक योजना है।
- 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली 3 वर्षों की अवधि के लिए इसका परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। FAME इंडिया चरण II को 31 मार्च, 2022 के बाद दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
- सरकार ने फेम इंडिया स्कीम चरण II को 31 मार्च 2024 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय।

फेम इंडिया चरण II की विशेषताएं:

- सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है, जिसमें साझा परिवहन भी शामिल है।
- इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन व्यय मॉडल पर मांग प्रोत्साहन राज्य/शहर परिवहन निगम (एसटीयू) के माध्यम से दिया जाएगा।
- 3W और 4W सेगमेंट में, प्रोत्साहन मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा।
- ई-2डब्ल्यू सेगमेंट में फोकस निजी वाहनों पर होगा।
- योजना के माध्यम से, 10 लाख e-2W, 5 लाख e-3W, 55000 4W और 7000 बसों को समर्थन देने की योजना है।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें उन्नत बैटरी जैसे लिथियम-आयन बैटरी और अन्य नई प्रौद्योगिकी बैटरी लगी होंगी।
- योजना में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके तहत देश भर के महानगरों, अन्य मिलियन से अधिक शहरों, स्मार्ट शहरों और पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ताकि कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता हो सके। 3 किमी x 3 किमी का ग्रिड।
- FAME-II योजना के तहत, e-2W के लिए मांग प्रोत्साहन को बढ़ाकर रु. ई-2डब्ल्यू को अपनाने को बढ़ाने के लिए वाहन की लागत की सीमा को 20% से बढ़ाकर लगभग 40% करने के साथ 10,000 रुपये/किलोवाट से बढ़ाकर 15,000/किलोवाट।

फेम इंडिया योजना के लाभ:

- पर्यावरण और ईंधन संरक्षण के मुद्दों में उल्लेखनीय कमी।
- विभिन्न खंडों में वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ।
- नागरिकों के लिए पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच।
- चार्जिंग सिस्टम के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग।
- चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के साथ इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहन।

9. कन्या सुमंगला योजना

योजना के बारे में:

- कन्या सुमंगला योजना एक अभिनव मौद्रिक लाभ योजना है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में बालिकाओं का उत्थान करना है।
- यह योजना एक परिवार में दो लड़कियों के अभिभावकों या माता-पिता को कन्या सुमंगला योजना 2024 के तहत मौद्रिक सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- यह लड़कियों वाले परिवारों के लिए प्रमुख योजना है।

RACE IAS

- यह योजना यूपी की लड़कियों को उनकी शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने में मदद करने के साथ-साथ लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देती है।
- इसका उद्देश्य सकारात्मक सोच के विकास में मदद करने के साथ-साथ कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना और लिंग अनुपात के मामले में समानता स्थापित करना भी है।
- इस योजना ने बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में समर्थन देने की प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा हासिल की है। यह कम आय वाले परिवारों को अपनी बेटियों को बिना किसी रुकावट के शिक्षित करने में भी मदद करता है।

कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता

- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- एक ही परिवार में केवल दो बेटियां ही इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं।
- पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 लाख.
- बेटी के जन्म के केवल 6 महीने के भीतर ही खाता खोला जा सकता है।
- जिन परिवारों ने लड़कियों को गोद लिया है वे भी इस योजना के तहत पात्रता रखेंगे।
- यदि किसी परिवार में जुड़वाँ लड़कियाँ हैं तो तीसरी लड़की को भी नामांकन की पात्रता होगी। यह योजना की एक और अग्रणी विशेषता है क्योंकि इसमें ऐसे परिदृश्यों के लिए भी प्रावधान हैं।
- आर्थिक रूप से संघर्षरत परिवारों को अपनी बेटियों को भी अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा।

योजना के तहत प्रमुख लाभ

- यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 श्रेणियों में अनुदान ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। समान राशि वाली कुल छह किश्तें हैं और इन्हें तदनुसार लाभार्थी बालिका को जमा किया जाएगा।

अनुदान राशि में वृद्धि:

जन्म के समय:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 से जन्म के समय प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक अनुदान राशि ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी गई है।

टीकाकरण सहायता:

एक वर्ष के भीतर सभी टीकाकरण पूरा करने के लिए सहायता को ₹1,000 से दोगुना करके ₹2,000 कर दिया गया है।

प्रवेश सहायता:

- पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अनुदान ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया गया है।
- इसी तरह, कक्षा छह में प्रवेश के लिए सहायता राशि ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर दी गई है।
- कक्षा 9 में प्रवेश के लिए अनुदान ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा:

- 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली या दो साल या उससे अधिक के लिए डिप्लोमा/स्नातक कार्यक्रम में नामांकित लड़कियों को अब ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,000 मिलेंगे।

RACE IAS

10. अमृत भारत स्टेशन योजना

सन्दर्भ:

6 अगस्त 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) की शुरुआत की गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- विश्व में दक्षिण अफ्रीफा, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे अधिक रेल ट्रैक भारत में पिछले 9 वर्षों में विकसित किए गए हैं।
- साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कुल रेल ट्रैक से अधिक रेल ट्रैक भारत में पिछले एक साल में बनाए गए हैं।
- 2030 तक भारतीय रेलवे को नेट जीरो उत्सर्जन पर चलने का लक्ष्य रखा गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में

- इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों की पुनर्सज्जा, नई रेलवे लाइनें बिछाने, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण और यात्रियों एवं परिसंपत्तियों की संरक्षा को बढ़ाने जैसी व्यापक गतिविधियां शामिल हैं।
- इस योजना के तहत भारत के करीब 1309 प्रमुख रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत विकसित और उनका पुनर्विकास किया जायेगा।
- अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जायेगा।
- इस योजना के पहले चरण के तहत विकसित 508 रेलवे स्टेशन देश के 27 राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं।
- इस योजना के तहत चयनित स्टेशन शहर के दोनों किनारों पर उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा।
- स्टेशन बिल्डिंग के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक भी दिखाई जाएगी।
- प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार इस योजना की लागत 24,470 करोड़ रखी गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना की विशेषता

- इन स्टेशनों में यात्रियों को विभिन्न प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की व्यस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुख्य विशेषताओं में छत प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार शामिल हैं।
- मल्टी-लेवल पार्किंग, लिफ्ट और एस्केलेटर, एक्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया और ट्रैवलेटर्स को भी शामिल किया जाएगा।
- शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही ट्रेन के लोको पायलट के लिए सभी सुविधाओं से लैस रनिंग रूम भी होंगे।
- इन स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण के तहत विकसित 508 रेलवे स्टेशन का राज्यवार विवरण इस प्रकार है।

No.	State	No.of stations
1	उत्तर प्रदेश और राजस्थान में।	55-55
2	बिहार में।	49
3	महाराष्ट्र में।	44

RACE IAS

4	पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में।	क्रमशः 37 और 34
5	असम	32
6	ओडिशा	25
7	पंजाब	22
8	गुजरात और तेलांगना में	21-21
9	झारखंड में।	20
10	आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में।	18-18
11	हरियाणा	15
12	कर्नाटक	13
13	चंडीगढ़	8
14	केरल	5
15	दिल्ली,त्रिपुरा,जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड में।	3-3
16	हिमाचल प्रदेश,मेघालय,नागालैंड और पुद्दुचेरी में।	1-1

11. एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी पहल

सन्दर्भ

- हाल ही में, कई राज्य सरकारों ने स्कूलों से एक नए छात्र पहचान पत्र के निर्माण के लिए माता-पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया, जिसे स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) के रूप में जाना जाता है।
- यह केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' पहल का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उपजी है।

APPAR आईडी क्या है?

- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप से केंद्रीकृत करने के लिए एपीएआर आईडी की शुरुआत की है, जिसे "वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड" के रूप में भी जाना जाता है।
- इसकी कल्पना बचपन से ही भारत के सभी छात्रों के लिए एक विशेष आईडी प्रणाली के रूप में की गई है।
- पहल के तहत, प्रत्येक छात्र को आजीवन एपीएआर आईडी मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।
- APAAR डिजिलॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा।
- डिजीलॉकर, एक डिजिटल प्रणाली जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उपलब्धियों, जैसे परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड, को डिजिटल रूप से संग्रहीत कर सकते हैं, जिससे भविष्य में उन तक पहुंच और उपयोग करना आसान हो जाता है।

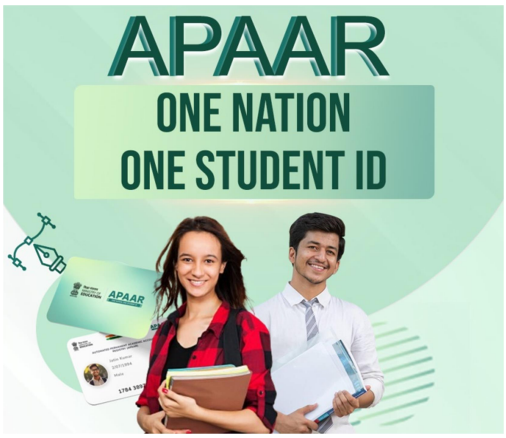

ज़रूरत

- एपीएआर शुरू करने के पीछे का लक्ष्य शिक्षा को परेशानी मुक्त बनाना

RACE IAS

और छात्रों को भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को कम करना है।

- यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे राज्य सरकारें साक्षरता दर, स्कूल छोड़ने की दर पर नज़र रख सकें और उन्हें सुधार करने में मदद मिल सके।
- APAAR का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल, विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लिकेट शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को कम करना भी है।

○प्रमाणपत्र जारी करने वाले केवल प्रथम पक्ष स्रोतों को प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हुए सिस्टम में क्रेडिट जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

एपीएआर आईडी का कार्य

- प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अद्वितीय APAAR आईडी होगी, जो अकादमिक बैंक क्रेडिट (एबीसी) से जुड़ी होगी।

○जो एक डिजिटल भंडारगृह है जिसमें छात्रों द्वारा उनकी सीखने की यात्रा के दौरान अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल है।

- एपीएआर आईडी के साथ, छात्र अपने सभी प्रमाणपत्र और क्रेडिट संग्रहीत करने में सक्षम होंगे, चाहे वे औपचारिक शिक्षा से आए हों या अनौपचारिक शिक्षा से।
- जब कोई छात्र कोई पाठ्यक्रम पूरा करता है या कुछ हासिल करता है, तो उसे अधिकृत संस्थानों द्वारा डिजिटल रूप से प्रमाणित और सुरक्षित रूप से उसके खाते में संग्रहीत किया जाता है।
- यदि छात्र स्कूल बदलता है, चाहे राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में, एबीसी में उसका सारा डेटा सिर्फ एपीएआर आईडी साझा करने से उसके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जाता है।

छात्रों को अपनी सिंगल आईडी बनवाने के लिए क्या करना होगा?

- APAAR के लिए साइन अप करने के लिए, छात्रों को नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग और एक तस्वीर जैसी बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होगी।
- इस जानकारी को उनके आधार नंबर का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा।
- छात्रों को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, और वे APAAR आईडी बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ अपने आधार नंबर और जनसांख्यिकीय जानकारी को साझा करने को स्वीकार या अस्वीकार करना चुन सकते हैं।
- नाबालिगों के लिए, माता-पिता को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिससे मंत्रालय यूआईडीएआई के साथ प्रमाणीकरण के लिए छात्र के आधार नंबर का उपयोग कर सके।
- एपीएआर आईडी बनाने के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं।

एक राष्ट्र, एक आईडी कार्ड के लाभ

छात्रों के लिए:

आजीवन शैक्षणिक आईडी: APAAR या एडुलॉकर छात्रों के लिए आजीवन पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें अपनी शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को निर्बाध रूप से ट्रैक करने की अनुमति देता है।

डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग: छात्र अपने परीक्षा परिणाम, सीखने के परिणाम और सह-पाठयक्रम उपलब्धियों, जैसे ओलंपियाड या विशेष कौशल प्रशिक्षण में रैंकिंग को डिजिटल रूप से संग्रहीत कर सकते हैं।

सहज स्थानांतरण: एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने वाले छात्रों के लिए, देश के किसी भी हिस्से में प्रवेश प्राप्त करना अधिक सरल हो जाता है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी परेशानियां कम हो जाएंगी।

शैक्षणिक संस्थानों के लिए:

छात्र रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन: शैक्षणिक संस्थान अपने छात्र रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सभी छात्र डेटा एनएआर में केंद्रीय रूप से संग्रहीत किए जाएंगे।

प्रशासनिक बोझ कम: शैक्षणिक संस्थान अपने प्रशासनिक बोझ को कम करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के छात्र रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

बेहतर दक्षता: शैक्षणिक संस्थान अपनी दक्षता में सुधार करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे छात्र डेटा तक अधिक आसानी से पहुंच पाएंगे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

RACE IAS

12. पीएम-ई बस सेवा योजना

सन्दर्भ:

16 अगस्त 2023 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना "पीएम-ईबस सेवा" को मंजूरी दी।

पीएम-ईबस सेवा योजना के बारे में

- PM-eBus सेवा योजना के जरिए 169 शहरों में 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी।
- इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी।
- 57,613 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार देगी. और शेष राशि राज्य सरकारें वहन करेंगी।
- यह योजना पीपीपी मोड के तहत 2037 तक चलेगी।
- इस योजना को दस वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- PM-eBus सेवा योजना को दो खंडों में विभाजित किया गया है।
  - सिटी बस सेवाओं का विस्तार:(169 शहर)
  - हरित शहरी गतिशीलता पहल (GUMI): (181 शहर)

सिटी बस सेवाओं का विस्तार:

- स्वीकृत बस योजना के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन का विस्तार किया जाएगा।
- इससे जुड़ा बुनियादी ढांचा डिपो बुनियादी ढांचे के विकास/उन्नयन में मदद करेगा; और ई-बसों के लिए मीटर के पीछे विद्युत बुनियादी ढांचे (सबस्टेशन, आदि) का निर्माण करना संभव होगा।

हरित शहरी गतिशीलता पहल (GUMI):

- इस पहल में बस प्राथमिकता, बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग बुनियादी ढांचे आदि जैसी हरित पहल की परिकल्पना की गई है।
- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग सुविधाओं के विकास के लिए शहरों को भी समर्थन दिया जाएगा।

सिटी बस सेवा योजना के लिए व्यय:

- इस योजना के तहत, राज्य या शहर इन बस सेवाओं के संचालन और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान करके इन बस संचालन का समर्थन करेगी।

पीएम-ईबस सेवा का क्षेत्र।

- यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की सभी राजधानी शामिल हैं।
- इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है।

पीएम-ईबस सेवा योजना का महत्व

- इस योजना के तहत सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसें चलाई जाएंगी, जिससे 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
- यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और बिहाइंड द मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा।
- बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आएगी।

RACE IAS

13. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2015

योजना के बारे में:

- भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इस आशय के लिए, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को सिंचाई के कवरेज को 'हर खेत को पानी' तक बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से 'प्रति बूंद अधिक फसल' पर केंद्रित तरीके से तैयार किया गया है। स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों पर अंतिम समाधान।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (कोर स्कीम) है, जहां केंद्र-राज्यों की हिस्सेदारी 75:25 होगी।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में हिस्सेदारी 90:10 होगी।
- 2020 में, जल शक्ति मंत्रालय ने PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो-टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2015 की मुख्य विशेषताएं

- प्रधानमंत्री के अधीन अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी), जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, इसकी देखरेख और निगरानी करेगी।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) का गठन किया जाएगा।
- पीएमकेएसवाई को चल रही योजनाओं, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के ऑन-फार्म जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) घटक को समाहित करने के लिए तैयार किया गया है।).
- जल बजटिंग सभी घरों, कृषि और उद्योगों के लिए की जाती है।
- निवेश कृषि स्तर पर होगा, इसलिए किसानों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है और वे बहुमूल्य प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- अधूरी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को निधि देने और तेजी से कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में नाबार्ड में पीएमकेएसवाई के तहत दीर्घकालिक सिंचाई कोष की स्थापना की गई थी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2015 के उद्देश्य

- क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना।
- जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना और टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना।
- परिनगरीय कृषि के लिए उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना।
- सिंचाई में अधिक निजी निवेश आकर्षित करना।
- किसानों और जमीनी स्तर के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल संरेखण से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना।

पीएमकेएसवाई का महत्व:

- **फसल उत्पादकता में वृद्धि:** बेहतर सिंचाई सुविधाओं से फसल की पैदावार अधिक होती है, जिससे किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा में योगदान होता है।
- **सतत प्रथाएँ:** जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **आर्थिक विकास:** किसानों को सशक्त बनाकर, यह योजना ग्रामीण आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में योगदान देती है।
- **जलवायु लचीलापन:** बेहतर जल प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए किसानों की क्षमता को बढ़ाता है।
- **बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा:** फसल की पैदावार और संसाधन प्रबंधन में वृद्धि, बढ़ती आबादी के लिए भूख और कुपोषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **ग्रामीण रोजगार सृजन:** सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण समुदायों में कौशल विकास को बढ़ाना।
- **तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देना:** आधुनिक सिंचाई विधियों को प्रोत्साहित करना, कृषि नवाचार को बढ़ावा देना और क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।

पीएमकेएसवाई के घटक	2016-23 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (सीए) (करोड़ रुपए में)

RACE IAS

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के समरूप कार्यान्वयन के साथ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	18,727.78
हर खेत को पानी - सतही लघु सिंचाई और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार	4,010.32
हर खेत को पानी - भूजल विकास	764.89
प्रति बूंद अधिक फसल	16,688.71
वाटरशेड विकास	9,559.07
कुल	**49,750.77**

RACE IAS

सिविल सेवा परीक्षा हेतु उत्तर भारत का प्रतिष्ठित संस्थान

RACE IAS

Dr. Rajesh Shukla
Chairman, RACE Group
Expert in Governance & Public Ad.

BATCHES FOR
IAS / PCS

Mrs Lori Shukla
Managing Director, RACE IAS

ADMISSION OPEN

Comprehensive Study Material

& many more ....

Optional Subjects

Public Administration
Political Science
History / Geography

Enriched Library

All India Test Series

12वीं के विद्यार्थी अभी से शुरू करें IAS/PCS की तैयारी

आरम्भ जितना शीघ्र सफलता उतनी दीर्घ

उत्कर्ष
12वीं के बाद 3 वर्ष का कोर्स

हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं उपलब्ध

प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की सम्पूर्ण तैयारी

संकल्प
स्नातक के बाद 1 वर्ष का कोर्स

Call for information :

Lucknow : ALIGANJ 7388114444 | INDIRA NAGAR 9044137462 | ALAMBAGH 8917851448

Kanpur : Coca Cola Crossing, G.T. Road

@RACEIASCIVILSERVICE

Scan the QR CODE & Join now Telegram Channel

YouTube/raceiaslko | www.raceias.com | /raceiaslucknow

RACE IAS®

Since 2010

सत्यमेव जयते

FOUNDATION BATCH IAS/PCS

Dr. Rajesh Shukla
Chairman, RACE Group

With Complete Study Material, Library Facility & Test Series

1 Year Batch for Graduate Students

3 Years Batch for 12th Passed Students

OFFLINE / ONLINE BATCH
English / Hindi Medium

OUR TOPPERS IN IAS

HIMANSHU GUPTA
UPSC (IAS), AIR 27

ANIMESH VERMA
UPSC (IAS), AIR 38

SHIVAKSHI DIXIT
UPSC (IAS), AIR 64

CHINTAN DOBARIYA
UPSC (IAS), AIR 376

PARICHAY KUMAR
UPSC (IAS), AIR 410

AJAY KUMAR GAUTAM
UPSC (IAS), AIR 415

PARMANAND PRAVIN
UPSC (IAS), AIR 439

VIVEK RAJPOOT
UPSC (IAS), AIR 588

YASHLOK K DUTT
UPSC (IAS), AIR 680

PRABAL GARG
UPSC (IAS), AIR 703

and many more----

OUR TOPPERS IN UPPCS

SATWIK SRIVASTAVA
DEPUTY COLLECTOR

PURNENDU MISHRA
DEPUTY COLLECTOR

SUNISHTHA SINGH
DEPUTY COLLECTOR

SHUSHANT SANWAREY
DEPUTY COLLECTOR

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY SP

SHAMBHAVI TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

KAUSTUBH TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

VISHAL GUPTA
DEPUTY SP, 2022

RISHIKA SINGH
DEPUTY SP, 2022

JUHI PRASAD
Deputy Collector
RANK 41, UPPCS 2021

SHIVAKSHI DIXIT
DEPUTY COLLECTOR, RANK 2, UPPCS 2020

SANT RANJAN
DEPUTY COLLECTOR, RANK 32, UPPCS 2019

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY COLLECTOR, RANK 68, UPPCS 2018

SUPRIYA GUPTA
DEPUTY COLLECTOR, RANK 78, UPPCS 2018

NEHA
ASSTT. COMMISSIONER
UPPCS 2020

and many more----

CALL : 7388114444, 8917851448, 9044241755

LUCKNOW : ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH

KANPUR : COCA COLA CROSSING, G.T. ROAD, CALL : 9044327779

अभी डाउनलोड करें -
RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com